

रिपोर्ट पटवारी हलका/आ:ओएल0आर0
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। विवरण अनुसार मंडल 27, पौख के वॉल 27 में प्रार्थी की माताजी का नाम गोविन्दकर है। उनके उत्तराधिकार में वास्तविक काउ गेन्दकर है। अतः इनका नाम गोविन्दकर के वंशज गेन्द कर के वंशज जाना उचित है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी
 दिनांक 23/11/2021

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी माधवराज उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/ उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं की जाती है।

उपरोक्त किताब जाग उचित है।

23/11/2021
 तहसीलदार (मू-अ0)
 उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी

1540
 23/11/21

आयालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)
 -- आदेश :-

दिनांक :- 23/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (मू-अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू-अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01,	पौख	2075-78	27	गोविन्द कर परिच नारायण सिंह राजपुर	गेन्द कर परिच नारायण सिंह राजपुर

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक 23/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1229-1230
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू-अ0) उदयपुरवाटी/गुढागोंडजी को वास्तु पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाथ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी